न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 67 /2020

प्रार्थीगण :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 विमला पत्नि स्व0 रामनिवास	1	रामपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी जैन मौहल्ला, चण्डावल नगर (व्यास) तह0 सोजत जिला पाली।
2 मनीषा चौधरी पुत्री स्व. रामनिवास	2	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत
3 खुशबु चौधरी पुत्री स्व. रामनिवास		
4 प्रेरणा चौधरी पुत्री रामनिवास जाति जाट नि0 चण्डावल नगर तह0 सोजत, हाल नि0 सूर्या कालोनी नयागांव रोड़, तह/ जिला पाली।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री राजेश चौधरी एवं कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 23.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा चण्डावल नगर, तहसील सोजत, जिला पाली क रिवाईज्ड सैटलमेंट के पुराने खसरा नंबर 1646 रकबा साढे बारह बीघा चार बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1648 रकबा साढे सात बीघा चार बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1650 रकबा सवा पांच बीघा एक बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1651 रकबा एक बीघा चार बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 1652 रकबा एक बीघा चार बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 1652 रकबा डेढ बीघा 03 बिस्वा रास्ता कुल खसरा 05 कुल रकबा पौने सताईस बीघा एक बिस्वा की कृषि भूमि पोकर वल्द देवा, सुरजमल वल्द देवा बहिस्सा बराबर सम्वत् 2029 से 2032 की जमाबंदी के अनुसार इन्द्राज सुदा थी तथा खातेदार पोकर वल्द देवा का स्वर्गवास होने से उपरोक्त भूमि में पोकर के 1/2 हिस्सा के स्थान पर उनके जईन्दा लड़के रामचन्द्र, मिश्रीलाल पि0 पोकर का नाम जरिए नामान्तरण संख्या 446 के इन्द्राज किया गया है व शेष 1/2 हिस्सा के खातेदार सूरजमल वल्द देवा ने अपने 1/2 हक हिस्से को जरिए रजिस्ट्री दिनांक 15.09.1973 को रामपाल वल्द मोहनलाल अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 446 के जरिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदार इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त भूमि के खातेदार रामचन्द्र, मिश्रीलाल का 1/2 हक हिस्सा रहा। जिसमें से रामचन्द्र पुत्र पोकर जाति सुथार नि0 चण्डावल नगर ने उपरोक्त भूमि में से अपने 1/4 हक हिस्सा की भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 रामनिवास पुत्र लच्छीराम जाति जाट निवासी चण्डावल नगर को दिनांक 25.11.1976 को प्रतिफल की राशि रूपये 3,000/— अक्षरे तीन हजार रूपये में बेचान कर कब्जा प्रार्थीगण के पिता/पति को सुपुर्द कर दिया था । इसी प्रकार मिश्रीलाल पुत्र पोकर ने उपरोक्त भूमि में से अपने 1/4 हक हिस्सा का बेचान दिनांक 25.10.1976 को अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर सुपुर्द कर दिया । उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 रामनिवास द्वारा 1/4 हक हिस्सा खरीद किया गया था तथा खरीद के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खातेदार इन्द्राज हो चुके थे । तत्पश्चात् प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 रामनिवास के द्वारा उपरोक्त अपने 1/4 खरीद किये गये हक हिस्से की भूमि में से 1/4

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

का 1/3 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/12 हक हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 13.05.1977 को जरिए रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। अर्थात् प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण पौने सताईस बीघा एक बिस्वा भूमि में से 1/4 हक हिस्सा को खरीद कर उक्त 1/4 में से 1/3 हक हिस्सा का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को करने के पश्चात् सम्पूर्ण वादस्थ भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का 1/6 हक हिस्सा (यानि 04 बीघा 52 बिस्वा भूमि) शेष रहा जो सम्पूर्ण शेष हिस्सा प्रार्थीगण के पिता/पति का पुराने खसरा नंबर 1648 नये खसरा नंबर 2366 मे रखा था। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सैटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर प्रार्थीगण के पिता/पति के 1/6 हक हिस्सा की भूमि में से 03 बीघा 52 बिस्वा भूमि को विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दी। वादस्थ भूमि के नये खसरा नंबर 2366, पुराने खसरा नंबर 1648 व खसरा नंबर 1652 से मिलकर बना है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 1646, 1648, 1650, 1651, 1652 कुल खसरा 05 कुल रकबा पौने सताईस बीघा एक बीघा भूमि में से खातेदार रामचन्द्र से प्रार्थीगण के पिता पति द्वारा 1/4 हक हिस्से को जरिए रजिस्ट्री बेचान दिनांक 25.11.1976 को प्रतिफल की राशि 3,000/– अक्षरे तीन हजार रूपये अदा कर खरीद की गई। तब से उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/पति का 1/4 हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहा उसके पश्चात् प्रार्थीगण के पिता/पति के द्वारा उपरोक्त 1/4 हक हिस्से में से 1/3 हक हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि का 1/12 वां हक हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13.05.1977 को कर दिया। उपरोक्त बेचान दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता/पति के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किये गये दस्तावेजात में स्पष्ट रूप से यह तथ्य वर्णित किया हुआ है कि खसरा नंबर 1648 रकबा साढे सात बीघा चार बिस्वा में से दक्षिण की तरफ साढे चार बिघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति के पास रही है। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजीयात की भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति के पास साढे चार बीघा कृषि भूमि मालिकाना हक की शेष रही थी। जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वर्तमान खसरा नंबर 2366 में मात्र 0.16 भूमि ही दर्ज सुदा है। जो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम इन्द्राज करवा दिया। वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि के सैटलमेंट पूर्व के खातेदार पोकर वल्द देवा के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में जरिए फौतेदगी नामान्तरकरण इन्द्राज किया जाकर उनके वारिसान लड़के रामचन्द्र एवं मिश्रीलाल के द्वारा अपने 1/4–1/4 हक हिस्सा का बेचान सैटलमेंट पूर्व से जरिए रजिस्टर्ड बेचान कर चुके थे। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्ण रूपेण रही है । चूँकि अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा ही मिश्रीलाल से 1/4 हक हिस्से को जरिए रजिस्टर्ड बेचान खरीद किया गया तथा शेष 1/4 जो रामचन्द्र का था जिसको भी प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा खरीद किये की जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्व से थी अर्थातृ पोकर वल्द देवा के 1/2 हक हिस्से के बेचान की जानकारी अप्रार्थी 1 को पूर्ण रूपेण थी। उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सैंटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर प्रार्थीगण के हक हिस्से को छल कपट धोखाधड़ी कारित करते हुए प्रार्थीग्ण के हक हिस्से की भूमि को भी विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम इन्द्राज करवा दी तथा सैंटलमेंट अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में पत्रावली संख्या 548 /1979 कायम कर उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में बिना प्रार्थीगण के पिता/पति को सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए उपरोक्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 2364, 2366, 2368, 2369 पर अप्रार्थी संख्या 1 का 3/4 हक हिस्से पर व शेष 1/4 हक हिस्से पर रामचन्द्र पुत्र पोकर एवं पानी बेवा पोकर का 1/4 हक हिस्सा इन्द्राज कर दिया। जबकि शेष 1/4 हक हिस्से पर प्रार्थीगण के पिता/पति का इन्द्राज किया जाना चाहिए था इसी सैंटलमेंट पत्रावली में सेंटलमेंट

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

अधिकारियो के समक्ष यह तथ्य भी अपनी आदेश तालिका दिनांक 27.02.1979 में वर्णित किया कि रामचन्द्र ने अपना 1/4 हक हिस्सा रामनिवास वल्द लच्छीराम को किया व रामचन्द्र ने अपना हल्फनामा पेश कर यह तथ्य प्रकट किया कि रामनिवास ने यह 1/4 हक हिस्सा जरिए रजिस्ट्री दिनांक 13.05.1977 को रामपाल वल्द मोहनलाल अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान किया। जबकि बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13.05.1977 में रामनिवास द्वारा मात्र 1/4 हक हिस्से की भूमि में से 1/3 हक हिस्से का ही बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया है लेकिन सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा बिना बेचान दस्तावेज का अवलोकन किये उक्त पत्रावली में रामनिवास द्वारा सम्पूर्ण 1/4 हक हिस्से को बेचान दिनांक 13.05.1977 को करने का गलत अंकित किया है। जो कि बेचान दस्तावेज से पूर्णत स्पष्ट है तथा सैंटलमेंट अधिकारियो के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करने व किसी व्यक्ति को खातेदारी समाप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद उपरोक्त पत्रावली में प्रार्थीगण के 1/4 हक हिस्सा के स्थान पर रामचन्द्र वल्द पोकर एवं पानी बेवा पोकर का नाम 1/4 हक हिस्से में विधि विरूद्ध रूप से इन्द्राज कर दिया गया तथा सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई उक्त त्रुटि के आधार पर राजस्व रेकर्ड में सैंटलमेंट पश्चात जो मिसल सम्वत् 2033 से 2052 कायम की गई उसमें विधि विरूद्ध रूप से रामचन्द्र वल्द पोकर एवं पानी देवी बेवा पोकर का 1/4 हक हिस्से पर इन्द्राज कर दिया गया। जबकि उपरोक्त भूमि के सैंटलमेंट पूर्व मे पानी वल्द पोकर किसी भी रूप से खातेदार इन्द्राज नही थी । रामचन्द्र द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थीगण के पिता/पति को बेचान किया जा चुका था। इसलिए सैंटलमेंट अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए राजस्व रेकर्ड में जो रामचन्द्र पुत्र पोकर एवं पानी वल्द पोकर का नाम दर्ज किया वह इन्द्राज प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विपरित होने से शून्य एवं निष्प्रभवावी है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जानबूझकर सैटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से को हडप करने की नियत से उक्त इन्द्राज करवाया है। उक्त इन्द्राज के आधार पर पानी बेवा पोकर से स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 24.12.2001 को कब्जा के अभाव में जरिए रजिस्टर्ड बेचान 1/8 हक हिस्से को खरीद करना बताया गया है। जबकि पानी बेवा पोकर का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं था। चूँकि पोकर वल्द देवा का जो नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, उसमें भी पानी को कतई खातेदार इन्द्राज नहीं किया गया । सैटलमेंट पूर्व से ही पोकर वल्द देवा का सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्सा बेचान हो चुका था। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जो पानी बेवा पोकर से दिनांक 24.12.2001 को भूमि खरीद करना बताया । वह बेचान कब्जा व स्वामित्व के अभाव में होने से उक्त बेचान प्रारम्भ से ही एबईनिशियो वोईड एवं शून्य हैं। उक्त बेचान से अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों के विपरित कोई हक अधिकार सृजित नहीं होते है। चूँकि अप्रार्थी संख्या 1 नियतबद्ध थी उसको उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में हुए बेचान की पूर्ण रूपेण जानकारी थी तथा पानी बेवा पोकर का उक्त भूमि में हक हिस्सा निहित नहीं होने की जानकारी के बावजूद प्रार्थीगण की भूमि को अकेले हड़प करने के आशय से पानी से बेचान दस्तावेजात अपने पक्ष में पंजीयन करवा दिया। उपरोक्त बेचान दस्तावेज दिनांक 24.12.2001 में खसरा नंबर 2368 रकबा 0.08 वर्णित किया है। जबकि खसरा नंबर 2368 का रकबा 2.7400 हैक्टर भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम इन्द्राज करवाई है। जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किया गया इन्द्राज प्रारम्भः से ही शून्य एवं अवैध है। प्रार्थीगण के पिता/पति का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके हक हिस्से पर प्रार्थीगण का बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। जिसमें कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज आज दिनांक तक नहीं किया है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 की नियत पूर्व से बद्ध होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। प्रार्थीगण सभी महिला होने एवं राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उक्त सम्बन्ध में पूर्व में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सके। माह फरवरी 2020 में प्रार्थीगण को उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में बैंक से ऋण की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पटवारी हल्का से उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उपरोक्त वादस्थ भूमि के खसरा नंबर 2366 में प्रार्थीगण को मात्र 1 बीघा भूमि ही दर्ज सुदा है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड की सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 03.03.2020 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि "वक्त सैटलमेंट सैटलमेंट अधिकारियों ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर प्रार्थीगण के पिता/पति की खरीदसुदा खातेदारी कृषि भूमि रकबा 3.52 बीघा भूमि को विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राज करवा दी।" जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त सम्बन्ध में जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क कर उक्त राजस्व रेकर्ड में पुनः दुरूस्ती का कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह कहा गया कि वर्तमान में लॉकडाउन हो गया है जिस पर पुनः सुचारू रूप से लॉक डाउन समाप्त होने पर मै तुम्हारा हक हिस्सा जो मेरे नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है उसकी पुनः रेकर्ड दुरूस्ती करवा कर तुम्हारे नाम इन्द्राज करवा दूंगा। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पर विश्वास एवं भरोसा किया तथा पुनः जूलाई 2020 में अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क कर उपरोक्त कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 1648 नये खसरा नंबर 2366 है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति की 4.52 बीघा भूमि आती है लेकिन वर्तमान में 0.1600 हैक्टर ही दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति 3.5200 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम इन्द्राजसुदा है को पुनः प्रार्थीगण के नाम रेकर्ड दुरूस्ती कर निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को साफ इंकार कर दिया तथा कहा कि मैने तो सैटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर उपरोक्त तुम्हारे हक हिस्से की भूमि को भी मेरे नाम दर्ज करवा दी है जब तुम्हारे जो करना है वो कर लो जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि की तमाम राज़स्व रेकर्ड व सैटलमेंट अधिकारी के समक्ष चली पत्रावली की एवं अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.08.2020 को प्राप्त की गई। जिसमें यह जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बाले–बाले राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को अपने नाम इन्द्राज करवा दी जबकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को अपने नाम इन्द्राज करवाने का कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि के खसरा नंबर 2366 (पुराने खं0नं0 1648) में रेकर्ड दुरूस्ती करवा कर माफिक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा करवाने के कानून अधिकारी है। प्रार्थीगण के पिता/पति का वक्त खरीद से अपने 1/4 हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहा तथा उक्त 1/4 हक हिस्से में से 1/3 हक हिस्से का बेचान करने के पश्चात् शेष खसरा नंबर 2366 पर माफिक हक हिस्सा पर लगातार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग प्रार्थीगण के पिता/पति का अपने जीवनकाल तक एवं उनके स्वर्गवास पश्चात प्रार्थीगण का बिना किसी बाधा अड़चन शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है आज भी प्रार्थीगण का खसरा नंबर 2366 पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बतौर मालिक के है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में भी दखल करने को अमादा है तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर अन्यत्र, विक्रय, हस्तान्तरण, रहन इत्यादि को भी अमादा है। जिसका की अप्रार्थी संख्या 1 कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसे विधि विरूद्ध कृत्य करने से रोके जाने हेतु जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध

उप खण्ड अधिकारी
रोहट (जिला-पाली) राज.

अप्रार्थीगण पेश किया है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से सहित कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तानान्तरण, बक्शीश, रहन, वसीयत आदि कर देते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी, जिसका मुल्यांकन कदापि रूपयों में नही आका जा सकता है, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार, सोजत द्वारा जबाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर पैरा संख्या 1 न्यायालय हाजा से सम्बन्धित, 2 से 3 स्वयं साबित करने का अंकन करते हुए पैरा संख्या 4 से 7 कानूनी होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण, तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अप्रार्थी सख्या 1 सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि का नाजायज फायदा उठाकर वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के 18/33 हिस्से को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ऐसा बेचान कर दिया तो अपूर्णीयक्षति प्रार्थीगण को होगी जिसकी क्षतिपूर्ती संभव नही होगी जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमार्णित है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 01 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूल वाद में बाद विधिक सुनवाई उभय पक्ष पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम होकर/साक्ष्य उभय पक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेंगा। वर्तमान परिपेक्ष में यदि वादस्थ भूमि का बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण किसी को कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। जिससे मामला प्रार्थीगण के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन तीनों ही बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से तथा वाद निर्णय तक वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा चण्डावल तहसील सोजत वर्तमान खसरा नंबर 2366 रकबा 1.3200 हैक्टर की कृषि भूमि का अन्य किसी को बेचना रहन अन्य हस्तान्तरण नही करने तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति **(Status Quo)** बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को वांद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज